राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016

(उ0 प्र0 अधिनियम सं0 23, सन् 2016)

THE ALLOTMENT OF HOUSES UNDER CONTROL OF THE ESTATE DEPARTMENT ACT, 2016

(U.P. Act No. 23 of 2016)

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, राज्यपाल महोदय ने दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की गयी एवं उ0प्र0 गजट असाधारण में 16 सितम्बर, 2016 को प्रकाशित हुआ।]

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 36, 2016

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 02, 2020

द्वारा संशोधित

[1][राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों, कर्मचारी संघों, राजनैतिक दलों, पत्रकारों, अखिल भारतीय सेवा/न्यायिक सेवा के अधिकारियों, न्यासों तथा न्यायमूर्तिगण को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राज्य संपति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों के आवंटन को विनियमित करने के लिए।]

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016 कहा जाएगा।

परिभाषायें

2–जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में –

(क) 'आवंटन' का तात्पर्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी भवन के अध्यासन के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत किये जाने से है;

(ख) 'राज्य सम्पत्ति अधिकारी' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार की सम्पदा के प्रभारी अधिकारी से है;

(ग) 'लखनऊ' का तात्पर्य लखनऊ नगर निगम की अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र से है;

(घ) 'आवास' का तात्पर्य राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन किसी भवन एवं उसके परिसर से है;

(ङ) 'अधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत लखनऊ में कार्यरत राज्य सरकार के अधीन अखिल भारतीय सेवा के सदस्य या न्यायिक सेवा के सदस्य भी हैं;

(च) 'प्रकार' का तात्पर्य धारा–3 में यथा उल्लिखित भवनों के प्रकार से है;

(छ) 'किराया' का तात्पर्य ऐसी धनराशि से है जो किसी व्यक्ति को आवंटित निवास स्थान के अध्यासन के कारण उसे संदेय हो;

(ज) 'न्यास' का तात्पर्य ऐसे सुविख्यात व्यक्तियों के नाम से सामाजिक कार्य के लिए स्थापित न्यास अथवा उनके आदर्शों, सिद्धांतों एवं सामाजिक कार्यों को अग्रसर करने के लिए कार्यरत न्यास से है, जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन पंजीकृत हो;

(झ) 'सोसाइटी' का तात्पर्य ऐसी सोसाइटी से है जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 के अधीन पंजीकृत हो और वे सामाजिक कल्याण एवं सार्वजनिक हित के क्षेत्र में कार्यरत हों;

(ञ) 'राजनैतिक दल' का तात्पर्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी दल से है;

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 2, 2020 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ट) [1][xxxxx]

(ठ) 'कर्मचारी संघ' का तात्पर्य ऐसे किसी कर्मचारी संघ से है जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो और जिसका मुख्यालय लखनऊ में हो ;

(ड) 'पत्रकार' का तात्पर्य ऐसे किसी सम्पादक, उप-सम्पादक या पत्रकार से है जिसे सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा राज्य मुख्यालय स्तर से मान्यता प्रदान की गयी हो, जो पूर्णकालिक रूप से लखनऊ में सेवारत हो तथा जिसके समाचार-पत्र का कार्यालय लखनऊ में हो;

(ढ) 'अनधिकृत अध्यासन' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 एवं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 2010 में यथापरिभाषित अनधिकृत अध्यासन से है।

[(ण) 'वरिष्ठ पत्रकार' का तात्पर्य ऐसे पत्रकार से है जो कम से कम 15 वर्षों से किसी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र/समाचार, दूरदर्शन चैनल से किसी न किसी रूप से सम्बन्धित रहा हो आर संवाददाता के रूप में कार्य किया हो अथवा वरिष्ठ स्तर पर लेखन या सम्पादन का कार्य किया हो।][2]

[3][(त) 'बाजार दर' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से नियत दर से है;

(थ) सांविधिक आयोग का तात्पर्य किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग से है।]

भवनों के प्रकार

3–राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों के प्रकार निम्नवत् हैं:–

(1) प्रकार–एक

(2) प्रकार –दो

(3) प्रकार –तीन

(4) प्रकार –चार

(5) प्रकार –पॉच

(6) प्रकार –छः

(7) प्रकार –सात

[4][परंतु यह की आवासों का प्रकार एवं उसकी विशिष्टियां ऐसी होंगी, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।]

आवंटन की पात्रता

[5]**4**–राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणधीन भवनों के आवण्टन की पात्रता निम्नानुसार होगी:–

क्रमांक	आवण्टन की पात्रता	भवनों का प्रकार
01	राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समूह–'घ' के कर्मचारी।	I

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 2, 2020 की धारा 3 क द्वारा निकाला गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 36, 2016 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 2, 2020 की धारा 3 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 2, 2020 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 2, 2020 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।

02	राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समूह–'ग' एवं समूह 'ख' के अराजपत्रित पदधारीगण;	दो
03	(1) राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समूह–'ग' के राजपत्रित अधिकारीगण; (2) राज्य सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी या उसके समकक्ष पद कार्यरत समूह 'ख' के राजपत्रित अधिकारीगण;	तीन
04	(1) राज्य सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश सचिवालय के अनुभाग अधिकारी या उसके समकक्ष पद कार्यरत समूह 'ख' के राजपत्रित अधिकारीगण; (2) राज्य सरकार के अधीन कार्यरत उत्तर प्रदेश सचिवालय के अनुसचिव या उपसचिव या संयुक्त सचिव या उसके समकक्ष पद कार्यरत समूह 'क' के अधिकारीगण; (3) न्यायिक सेवाओं के अधीनस्थ अधिकारीगण; (4) पत्रकारी, सोसाइटी एवं मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघ;	चार
	(5) उपलब्धता के अध्यधीन, राज्य सरकार के यथास्थिति विभिन्न विभागों, निगमों, उपक्रमों, परिषदों, आयोगों एवं संस्थाओं में नामनिर्दिष्ट नियुक्त/गैर सरकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्यगण या सलाहकरण;	चर (विधायक निवास–3 ओ0सी0आर0)
05	(1) राज्य सरकार के अधीन कार्यरत उत्तर प्रदेश सचिवालय के विशेष सचिव या सचिव या उसके समकक्ष पद कार्यरत समूह 'क' के अधिकारीगण; (2) उच्चतर न्यायिक सेवा के अपर जिला न्यायाधीशगण एवं समकक्ष वेतनमान में कार्यरत न्यायिक सेवा के अधिकारीगण; (3) न्यास; (4) राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सांविधिक आयोग तथा अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यगण; (5) वरिष्ठ पत्रकारगण;	पॉच
06	(1) उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति; (2) प्रमुख सचिव की श्रेणी से अन्यून राज्य सरकार के अधिकारीगण; (3) जिला न्यायाधीश तथा समकक्ष वेतनमान के न्यायिक अधिकारी; (4) राजनैतिक दल; (5) संवैधानिक आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य।''	छः एवं सात

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) समूह–'ख' के अधिकारियों का तात्पर्य सचिवालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारियों या समकक्ष वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों से है।

(ख) समूह–'क' के अधिकारियों का तात्पर्य सचिवालय में कार्यरत संयुक्त सचिव, विशेष सचिव या सचिव या समकक्ष वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों से है।

(ग) वरिष्ठ अधिकारी का तात्पर्य प्रमुख सचिव या समकक्ष वेतनमान या उच्चतर वेतनमान में कार्यरत किसी अधिकारी से है।

आवंटन करने की शक्ति

5–प्रकार 1 से 4 तक के भवनों का आवंटन राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा तथा प्रकार 5 से 7 तक के भवनों का आवंटन प्रमुख सचिव/सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग के पूर्वानुमोदन से राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

[1][''परन्तु यह कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों, उपक्रमों, परिषदों, आयोगों एवं संस्थाओं में नामनिर्दिष्ट/नियुक्त यथास्थिति गैर सरकार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्यों या सलाहकारों को भवन आवण्टन, राज्य सम्पत्ति विभाग के मंत्री के पूर्व अनुमोदन से राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा किया जायेगा।'']

आवंटन की अवधि

6–(1) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, न्यायिक सेवा के अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन का आवंटन उनके लखनऊ में तैनात रहने की अवधि तक के लिए किया जाएगा। स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति की दशा में आवंटितियों को अध्यासित आवास को उनके स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर रिक्त करना होगा।

(2) न्यासों से भिन्न अन्य आवेदकों को भवन का आवंटन दो वर्ष के लिए किया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा उसके नवीकरण पर एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए आवंटन हेतु विचार किया जाएगा।

[2][(3) किसी न्यास को भवन आवण्टन अधिकतम पॉच वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा तथा न्यास द्वारा आवेदन किए जाने पर राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा अग्रतर अधिकतम पॉच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा;

(4) सांविधिक आयोगों या अधिकरणों के अध्यक्ष या सदस्य तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों, उपक्रमों, परिषदों, आयोगों एवं संस्थाओं में नामनिर्दिष्ट/नियुक्त यथास्थिति गैर सरकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य या सलाहकार को भवन आवण्टन, उपर्युक्त पदों पर उनकी तैनाती के कार्यकाल तक के लिए किया जायेगा।'']

किराये का निर्धारण

[**7**–इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन आवंटित किये गये भवनों का किराया, न्यास और सोसाइटी के मामले में बाजार दर से प्रभारित किया जाएगा और अन्यआवंटियों के मामले में किराया ऐसे दर पर प्रभारित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाय।][3]

भवनों की बेदखली

[**8**–इस अधिनियम के किसी आवंटिती द्वारा किये गये अनधिकृत अध्यासन को, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 2010 के उपबंधों के अधीन खाली कराया जायेगा।।][4]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 2, 2020 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 2, 2020 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 36, 2016 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 36, 2016 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

नियम बनाने की शक्ति

9–राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

10–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रवृत्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी कालावधि जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वह परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश को किये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

———————

उद्देश्य और कारण

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न प्रकार के भवनों के आवंटन, राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों, कर्मचारी संघों, राजनैतिक दलों, पत्रकारों, अखिल भारतीय सेवा/न्यायिक सेवा के अधिकारियों, विधान परिषद के सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों, न्यासों, मंत्रियों, विधान परिषद के सभापति/उपसभापति, विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा न्यायमूर्तिगण को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा कार्यकारी नियमों के उपबन्धों और कतिपय मामलों में सांविधिक नियमों और अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन अब तक किये जाते रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए कोई पृथक् विधि नहीं है। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त भवनों के आवंटन को विनियमित करने के लिए एक विधि बनायी जाय।

तदनुसार राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।